



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6367

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 33118 / 2025

अभिषेक उर्फ विक्रम

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक पक्ष के अधिवक्ता

: पंकज

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री पंकज, आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं राज्य के लिए श्री अजय सिंह, विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अवलोकन किया।

यह आवेदक द्वारा दाखिल दूसरा जमानत आवेदन है। वर्तमान आवेदक द्वारा दाखिल प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा 01.05.2025 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3384/2025, अभिषेक उर्फ विक्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में खारिज कर दिया गया था जिसकी प्रति जमानत आवेदन के परिशिष्ट-1 के रूप में अभिलेख पर लाई गई है।

आवेदक-अभिषेक उर्फ विक्रम ने अपराध संख्या 127/2024, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3, थाना सेक्टर 113 नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में विचाराधीन मुकदमे के दौरान जमानत हेतु यह दूसरा आवेदन दाखिल किया है।

इस दूसरे जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रथम जमानत आवेदन में किए समस्त तर्कों की पुनरावृत्ति की जो इस न्यायालय द्वारा पुनः उल्लेख करने के योग्य नहीं।

उक्त के अतिरिक्त आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा 27.09.2025 को आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तथा संबंधित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय द्वारा 26.09.2025 को संज्ञान लिया गया है तथा आवेदक की और पुलिस अभिरक्षा पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं। आरोप पत्र में 160 साक्षी हैं तथा निकट भविष्य में मुकदमे का समापन होने की कोई संभावना नहीं। 41 आपराधिक इतिहास का उचित स्पष्टीकरण दिया गया है। लंबे तर्क के पश्चात् विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक 28.09.2024 से 15 माह से अधिक से जेल में बंद है अतः जमानत का हकदार है।

विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता ने तीव्र विरोध किया किंतु उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सका।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि पर दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों से छेड़छाड़ का उचित भय, प्रथम दृष्टया मामला-मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना-पर विचार करते हुए जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उक्त मुकदमा अपराध संख्या में लिप्त अभियुक्त-आवेदक अभिषेक उर्फ विक्रम को जमानत पर रिहा किया जाए बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रत्येक नाममात्र राशि के प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा तथा मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित उपस्थित होगा जब तक व्यक्तिगत हाजिरी अधिवक्ता के माध्यम से छूट न मिल जाए।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है तो अवर न्यायालय जमानत रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

09 जनवरी 2026

दीपक/

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।